



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 1, 2012/आश्विन 9, 1934

No. 213]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 1, 2012/ASVINA 9, 1934

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2012

सं. भा.आ.प. 34(41)/2012-मेडि.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956

(1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "आयुर्विज्ञान कॉलेज की स्थापना, विनियमावली, 1999" में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः—

1. (i) इन विनियमों को "आयुर्विज्ञान कॉलेज की स्थापना, विनियमावली (संशोधन), 2012" कहा जाए।
- (ii) वे सरकारी गजट में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. "आयुर्विज्ञान कॉलेज की स्थापना, विनियमावली, 1999" यथासंशोधित 01/06/2012 की अधिसूचना "अर्हता मानदंड" शीर्षक के अंतर्गत खंड 2(2) में चौथे पैराग्राफ के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:—

"बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल से सिक्किम राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में, मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए अब से पाँच वर्षों की अवधि के लिये सम्बंधित राज्य सरकार द्वारा जिला अस्पताल के उपयोग कर मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए भूमि के दो टुकड़ों, जो मिलाकर कम से कम 20(बीस) एकड़ के हों, के लिए अनुमति दी जा सकती है। तथापि भूमि का एक प्लॉट जो

10(दस) एकड़ से कम नहीं होगा तथा दूसरा टुकड़ा 5 (पाँच) एकड़ से कम नहीं होगा। भूमि के दो टुकड़ों के बीच का फासला 10 किलोमीटर से अधिक न हो तथा वह पूर्णतया सड़क से जुड़ा हो तथा विद्यार्थियों और स्टाफ के आने जाने के लिये निशुल्क वाहन की व्यवस्था हो। अस्पताल भूमि के एक ही टुकड़े में होना चाहिये तथा छात्रों, अंतरंग डाक्टरों, स्नातकोत्तर/आवासी डाक्टरों तथा नर्सों के लिए होस्टलों और पुस्तकालय सहित कॉलेज का भवन भूमि के किन्हीं भी दो टुकड़ों में हो सकता है। यह जिला अस्पताल कम से कम तीन वर्षों से कार्यरत होना चाहिए।

राज्यों के उन जिलों में, जहाँ दो या दो से अधिक मेडिकल कॉलेज पहले से ही हैं, वहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना की अनुमति के लिये आवेदन करने वाले व्यक्ति को उपरोक्त शिथिलता नहीं दी जायेगी।"

प्रो. संजय श्रीवास्तव, सचिव

[विज्ञापन-III/4/100/12/असा.]

पाद टिप्पणी : प्रधान नियमावली नामतः 'आयुर्विज्ञान कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999' दिनांक 28 अगस्त, 1999 को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की अधिसूचना संख्या 34(41)/98-मेडि. के अंतर्गत भारत के गजट के भाग-III, धारा (4) में प्रकाशित किया गया था और इसे दिनांक 7 अक्टूबर, 1999, 14 अगस्त, 2000, 29 जुलाई, 2008, 22 अक्टूबर 2009, 26 फरवरी, 2010, 16 अप्रैल 2010, 14 अक्टूबर, 2011 और 1 जून 2012 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2012

No. Medical Council of India 34(41)/2012-Med.—In exercise of powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the "Establishment of Medical College Regulations, 1999" namely:-

1. (i) These regulations may be called the "Establishment of Medical College Regulations, (Amendment), 2012".
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the "Establishment of Medical College Regulations, 1999", as amended vide notification dated 01.06.2012, in Clause 2(2) under the heading QUALIFYING CRITERIA", the following shall be added after the fourth paragraph:

"Provided further for a period of five years in States / Union Territories other than Bihar, Chattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan, Uttar Pradesh and West

Bengal, establishment of medical college shall be allowed on two pieces of land comprising minimum of 20 (twenty) acres of land for utilization of District Hospitals by respective State Government for opening of medical colleges. However, one plot of land shall not be less than 10 (Ten) acres and the second plot of land shall also be not less than 5(five) acres. The distance between two pieces of land shall not be more than 10 (ten) kilometers with well connected road and free transportation facility for students and staff. The hospital should be on one piece of land and the building of the college including library and hostels for the students, intern, PGs/Residents, nurses may be housed on any of the two pieces of land. The said District hospital should be functional for atleast 3 years.

The above relaxation shall not be available to a person seeking permission to establish a medical college in a District in the states where two or more medical colleges are already in existence."

Prof. SANJAY SHRIVASTAVA, Secy.

[ADVT.-III/4/100/12/Exty.]

Foot Note : The Principal, Regulations namely, "Establishment of Medical College Regulations, 1999" were published in Part-III, Section (4) of the Gazette of India on the 28th August, 1999., vide Council of India Notification No.34(41)/98-Med. and amended vide notification 7th October 1999, 14th August, 2000, 29th July, 2008, 22nd October, 2009, 26th February, 2010, 16th April, 2010, 14th October, 2011 and 1st June, 2012

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2012

सं. भा.आ.प. 12(2)/2010-मेडि.-विविध.— भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद

अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः —

1. (i) इन विनियमों को " चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (संशोधन) विनियमावली, 2012" कहा जाए ।
- (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
2. "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :-

खंड 4 (i) (ii) और (iii) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

- “4 (i). “चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998 में “सारणी-1 और सारणी-2” में दिनांक 21.7.2009, 28.10.2009, 15.12.2009 और 3.11.2010 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत यथासंशोधित “अकादमिक शैक्षिक योग्यता, अध्यापन एवं अनुसंधान अनुभव की शर्तें” शीर्षक के अंतर्गत अकादमिक शैक्षिक योग्यता के कालम में सभी **विशेषज्ञताओं** के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

डीएनबी (.....)

ब्रॉड /अति विशेषज्ञताएं

- (ii) “चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998” में “सारणी-1 और सारणी-2” में दिनांक 21.7.2009, 28.10.2009, 15.12.2009 और 3.11.2010 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत यथा संशोधित “अकादमिक शैक्षिक योग्यताएं, अध्यापन एवं अनुसंधान अनुभव की शर्तें” शीर्षक के अंतर्गत “अध्यापन अनुभव” के कॉलम में “एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर” के पद के सामने सभी **विशेषज्ञताओं** के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

यदि कोई डीएनबी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी (व्यापक/अति-विशेषज्ञता) जो सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए नीचे उल्लिखित खंड 4 (iii) के अनुसार शर्तें पूरी करता है या पहले से ही भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मेडिकल कॉलेज/केंद्रीय संस्थान में कार्यरत है, तो उसे यथा संशोधित चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998 के अनुसार आगे पदोन्नत किया जाएगा।

- (iii) “चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998” में “सारणी-1 (व्यापक विशेषज्ञता) और सारणी-2 (अति विशेषज्ञता)” में दिनांक 21.7.2009, 28.10.2009, 15.12.2009 और 3.11.2010 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत यथा संशोधित “अकादमिक शैक्षिक योग्यताएं, अध्यापन एवं अनुसंधान अनुभव की शर्तें” शीर्षक के अंतर्गत “अध्यापन अनुभव” के कॉलम में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता” के पद के सामने सभी **विशेषज्ञताओं** के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

- (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज से एमडी /एमएस डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए

या तो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के दौरान या विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट/रजिस्ट्रार/प्रदर्शक/ट्यूटर के रूप में विषय में 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव ।

(ii) एमबी/एमएस के साथ डीएनबी (व्यापक विशेषज्ञताएं) की शैक्षिक योग्यता और डीएम/एमसीएच के साथ डीएनबी (अति-विशेषज्ञताएं) की शैक्षिक योग्यता की समतुल्यता

(क) जिन अभ्यर्थियों ने किसी ऐसे संस्थान से डीएनबी प्रशिक्षण प्राप्त किया है जो अब किसी दिए हुए विषय में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम चलाता है, उनकी डीएनबी शैक्षिक योग्यताओं को उसी विषय में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक योग्यताएं माना जाएगा ।

(ख) जिन अभ्यर्थियों ने कम से कम 500 बिस्तारों वाले बहु-विशेषज्ञता अध्यापन अस्पताल में डीएनबी प्रशिक्षण प्राप्त किया है और विभिन्न स्नातकोत्तर/अति-विशेषज्ञता अध्यापन कार्यक्रम में शामिल है, बशर्ते कि तीन में से एक डीएनबी पर्यवेक्षक (अध्यापक) अपनी पिछली नियुक्ति में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर अध्यापक है तथा शेष दो में से एक स्नातकोत्तर अध्यापक है जिसके लिए आयुर्विज्ञान विनियमावली के अनुसार निम्नलिखित शैक्षिक युनिट के लिए आवश्यक बिस्तार इस प्रकार हैं:

स्नातकोत्तर व्यापक विशेषज्ञताएं	30 बिस्तार प्रति युनिट	} 50% बिस्तार टैबिंग बिस्तार हों।
स्नातकोत्तर अति-विशेषज्ञताएं	20 बिस्तार प्रति युनिट	

इस प्रकार की शैक्षिक योग्यताएं भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक योग्यता के समतुल्य मानी जाएगी ।

(iii) एमबी/एमएस के साथ डीएनबी (व्यापक विशेषज्ञताएं) की शैक्षिक योग्यता और डीएम/एम.

सीएच. के साथ डीएनबी (अति विशेषज्ञताएं) की शैक्षिक योग्यता की समतुल्यता के लिए एक

वर्ष का अतिरिक्त प्रशिक्षण

जिन अभ्यर्थियों ने ऐसे अस्पताल/संस्थान जो उपरोक्त(ii) के अंतर्गत नहीं हैं, से डीएनबी प्रशिक्षण (दोनों व्यापक विशेषज्ञताएं और अति विशेषज्ञताएं) प्राप्त किया है उन्हें किसी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल/संस्थान में एक अतिरिक्त वर्ष की वरिष्ठ रेजिडेंसी या समतुल्य प्रशिक्षण या अनुसंधान कार्य करेगा/करेगी । बशर्ते कि ये शैक्षिक योग्यताएं "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" में अधिसूचित हो ।

3739 927/12-2

प्रो. संजय श्रीवास्तव, सचिव

[विज्ञापन-III/4/100/12/असा.]

पाद टिप्पणी: प्रधान विनियमावली नामतः "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" दिनांक 5 दिसम्बर, 1998 को भारत के गजट के भाग-III, खंड 4 में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 16.3.2005, 21.7.2009, 28.10.2009, 15.12.2009, 03.11.2010 और 08.07.2011 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था ।

AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2012

No. MCI-12(2)/2010-Med.Misc.— In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations 1998", namely: -

1. (i) These Regulations may be called the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions (Amendment) Regulations, 2012".

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the "Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", the following **additions/modifications/deletions/ substitutions**, shall be, as indicated therein: -

The clauses 4(i) (ii) and (iii) shall be substituted as under:-

"4(i). In the "Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", in "TABLE-1 & TABLE-2" under the heading "REQUIREMENTS OF ACADEMIC QUALIFICATIONS, TEACHING AND RESEARCH EXPERIENCE", as amended vide notifications dated 21/07/2009, 28/10/2009, 15/12/2009 & 03.11.2010, in the column of 'Academic qualifications' for all the specialties, the following **shall be substituted:-**

"DNB (-----)
'Broad/Super-specialities'

(ii). In the "Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", in "TABLE-1 & TABLE-2" under the heading "REQUIREMENTS OF ACADEMIC QUALIFICATIONS, TEACHING AND RESEARCH EXPERIENCE", as amended vide notifications dated 21/07/2009, 28/10/2009, 15/12/2009 & 03.11.2010, in the column of "Teaching Experience" against the post of "Associate Professor/Reader", for all the specialties, the following **shall be substituted :-**